

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि/नरेगा/आधार/पार्ट-1/80830/2015
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक :

11 JUL 2017

विषय :- ए.बी.पी.एस. कन्वर्जन के लिए कैंप आयोजित किये जाने बाबत।

संदर्भ :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.07.2017

महोदय,

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2017 को Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 में किये गये संशोधन के अनुसरण में बैंक खाते को दिनांक 31.12.2017 तक आधार नंबर से जोडा जाना अनिवार्य है, अन्यथा बैंक खाता ऑपरेशनल नहीं रहेगा। इस संबंध में महात्मा गांधी नरेगा योजना के भुगतान हेतु संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के संयुक्त हस्ताक्षरों से महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों के खाते को आधार नंबर से जोडे जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 01.07.2017 को जारी किये गये हैं (प्रति संलग्न)।

जारी उक्त निर्देशों के अनुसरण में निम्नानुसार कार्यवाही आपके स्तर से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है :-

1. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर दिनांक 25.07.2017 से 10.09.2017 के मध्य विशेष कैंप का आयोजन किया जाना है। यह कैंप यथा संभव अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित किये जावे। इन कैंप के लिए कलैण्डर बनाया जाकर नरेगा सॉफ्ट पर दिनांक 20.07.2017 तक अपलोड किया जावे।
2. आयोजित किये जाने वाले कैंप में नरेगा Functionaries, बैंक के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अलावा आधार enrolment की व्यवस्था के साथ फोटोकॉपी की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से की जानी है।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना के ऐसे लाभार्थियों जिनके आधार नंबर की सीडिंग नरेगा सॉफ्ट में नहीं की गई है, आधार नंबर का लिंकेज बैंक खाते के साथ नहीं किया गया है, जिन्होंने आधार नंबर के लिए अभी तक enrolment नहीं कराया है, को प्रोत्साहित कर कैंप में आवश्यक रूप से भाग लिया जाना सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रचार-प्रसार तथा घर-घर सम्पर्क की व्यवस्था अभी से प्रारम्भ कर दी जावे।
4. कैंप के दौरान भारत सरकार के पत्र के साथ संलग्न सहमति पत्र जिसका हिन्दी रूपान्तरण भी इस पत्र के साथ संलग्न है, दो प्रतियों में लाभार्थी से प्राप्त किया जाना है। सहमति पत्रों की पर्याप्त मात्रा में प्रतियां कैंप में आवश्यक रूप से उपलब्ध रखी जावे। चाहे तो यह सहमति पत्र पूर्व में ही लाभार्थी को दिये जा सकते हैं, ताकि लाभार्थी कैंप में सहमति पत्र जमा कराना सुनिश्चित कर सकें। सहमति पत्र के साथ लाभार्थी के आधार नंबर की प्रति मय लाभार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के सत्यापित संलग्न किया जाना भी अनिवार्य है।
5. आधार कार्ड एवं बैंक खाते में लाभार्थी का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग की एकरूपता अनिवार्य है। किसी प्रकार के अंतर होने की स्थिति में, संबंधित दस्तावेज अर्थात आधार कार्ड

अथवा बैंक खाते में परिवर्तन किया जाना वांछनीय है। तदनुसार कार्यवाही कैम्प के दौरान कराई जावे।

6. प्राप्त दो सहमति पत्रों में से एक विभाग के रिकॉर्ड में रखा जावेगा तथा दूसरा संबंधित बैंक प्रतिनिधि को कैम्प के दौरान ही दिया जायेगा। इसकी सूचना नरेगा सॉफ्ट पर उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिवस तक प्रविष्ट की जावेगी। इसके अलावा सहमति पत्रों का ब्रांचवार विवरण एल.डी.एम. को भी दिया जायेगा।
7. प्राप्त उक्त सहमति पत्रों के आधार पर बैंक द्वारा आधार लिंकेज की कार्यवाही की जायेगी एवं इसकी मॉनीटरिंग एल.डी.एम. के माध्यम से जिला स्तर पर तथा बैंक प्रतिनिधि के साथ में ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी। एक सप्ताह के दौरान कार्यवाही पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
8. महात्मा गांधी नरेगा योजना के शत प्रतिशत **active workers** का आधार लिंकेज की कार्यवाही इन कैम्पों के दौरान किया जाना अनिवार्य है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक रूप से संपादित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रोहित कुमार)

सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद जोधपुर/बाडमेर।
6. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Government of India
Ministry of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi

Dated: 1st July 2017

To:

1. The Principal Secretary / Secretary
in charge of MGNREGA
All State/UT Governments and UT Administrations
2. The Chairman / Managing Director
of all Public Sector Banks and Private Sector Banks as per attached list
3. The Convener, SLBC
All States/UTs

Sub: MGNREGS—camps for seeding of Aadhaar in the accounts of MGNREGS workers for Direct Benefit Transfer (DBT)—regarding

Sir/Madam,

In terms of the amendments made to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, *vide* Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), notification no. G.S.R. 538(E), dated 1.6.2017, in case the account holders of accounts existing prior to the date of notification fail to submit to the bank their Aadhaar number by 31.12.2017, their accounts shall cease to be operational till the time the Aadhaar number is submitted by the account holder.

2. Therefore, for continued DBT to MGNREGS workers whose accounts are not seeded with Aadhaar number, it is essential that their accounts be seeded with their Aadhaar number, with their consent, latest by 31.12.2017. As per data available with MoRD, the number of such active MGNREGS workers is over 5 crore. To enable such a large number of workers to seed Aadhaar numbers in their accounts, a round of camps is planned, beginning from **25.7.2017, till 10.9.2017**.


3. In this connection, it may also be noted that in the video-conference chaired by Secretary (Coordination & PG), Cabinet Secretariat, Government of India with State Chief Secretaries on 21st & 22nd June 2017, regarding implementation of DBT in States, State Governments have been requested to expedite the process of seeding of Aadhaar numbers in beneficiary bank accounts.

4. In carrying out this exercise, the following may be taken note of:


- (a) MGNREGS workers may be mobilised to special camps at the Gram Panchayat or Block level. During the camps, necessary information regarding seeding Aadhaar number in the bank account may be provided and consent of the workers for seeding obtained. The acknowledgement of receipt of consent may also be ensured.

- (b) Indian Banks' Association, *vide* their attached communication, has circulated among banks a form for obtaining consent of accountholders for seeding Aadhaar number in their account and written consent of the accountholders in the same may be ensured.
- (c) The Standard Operating Procedure (SOP) issued *vide* letter of even number, dated 14.3.2017, of the Ministry of Rural Development (MoRD), co-signed by Joint Secretary, Department of Financial Services, should be followed.
- (d) The calendar for these camps should be uploaded on the MGNREGA MIS (NREGASoft) by **20.7.2017**. Provision for this has been enabled in NREGASoft.

Enclosure: as above



(Amit Agrawal)
Joint Secretary
Department of Financial Services



(Aparajita Sarangi)
Joint Secretary (MGNREGA)
Ministry of Rural Development

Copy, with enclosure, to:

1. Secretary, Government of India, Department of Rural Development
2. Secretary, Government of India, Department of Financial Services
3. Director General and Mission Director, Unique Identification Authority of India
4. Joint Secretary, Government of India, Cabinet Secretariat (DBT Mission)
5. Finance Secretary, all State/UT Governments and UT Administrations
6. Commissioner (In charge of MGNREGA) of all State/UT Governments and UT Administrations
7. Chief Executive, Indian Banks' Association, with the request to communicate this to the remaining banks

List of private sector banks addressed

1. ICICI Bank
2. HDFC Bank
3. Axis Bank
4. Yes Bank
5. IDFC Bank
6. RBL Bank
7. IndusInd Bank
8. Federal Bank
9. Kotak Mahindra Bank
10. Karur Vysya Bank
11. South Indian Bank
12. City Union Bank
13. Lakshmi Vilas Bank

From: Ashish Gupta [<mailto:ashish@iba.org.in>]

Sent: 13 April 2017 19:04

To: Public Sector Banks; Private Sector Banks; Foreign Banks; Co-operative Banks; Regional Rural Banks

Cc: unni@iba.org.in; k.ramachandran@iba.org.in; yikash@iba.org.in; pooja.s@iba.org.in; agautam@iba.org.in; ceo@npci.org.in; aphota@npci.org.in; pushpinder.singh@npci.org.in; sumanlata.goyal@uidai.net.in; ashok.singh69@nic.in

Subject: Aadhaar Seeding in Multiple Banks Accounts

Dear Sir/Madam,

Aadhaar Seeding in Multiple Banks Accounts

Please refer to our e-Mail dated 20/03/2017 the forwarding the format for seeding Aadhaar.

In this connection, based on suggestion for UIDAI the format has been slightly modified and modified version is enclosed. This format can be used for getting consent from customer for Aadhaar seeding.

In new accounts to be opened

In all existing accounts

For seeding mobile number

For seeding e-Mail id (where provided)

The same for can be used at the branch or can be collected from the BC or V.O/B.D.O with authorization from the customer.

Please arrange to get customer consent in this format only

Ashish Gupta
Manager- Banking Technology
Indian Banks' Association,
World Trade Centre Complex,
Centre 1, Cuffe Parade,
MUMBAI – 400005
Ph: +91-22-22174044

**APPLICATION FOR LINKING AADHAR NUMBER TO BANK ACCOUNT and
CONSENT FOR AADHAAR BASED AUTHENTICATION**

To

The Branch Manager,
.....Bank
.....Branch

Date:

I(name of the account holder) /S/w/d/OR/O..... wish to link my Aadhaar number to my proposed /Existing bank account number.

The particulars of the Aadhaar / UID letter are as under: (self-attested copy enclosed)

Aadhaar / UID number

Name of the Aadhaar Holder as in Aadhaar Card.....

2. I hereby state & undertake that I have no objection in authenticating myself with Aadhaar based Authentication system and hereby give my voluntary consent as required under the Aadhaar Act 2016 and Regulations framed thereunder for seeding my Aadhaar number to my bank account & to provide my identity information (Aadhaar number, biometric information & demographic information) for Aadhaar based authentication for the purpose of availing of the banking services including operation of account & for delivery of subsidies, benefits and services or any other facility relating to banking operations.

3. I hereby give my voluntary consent in seeding my Aadhaar Number to all my existing bank accounts and to my customer profile.

- i. Account Number 1: ----- ii. Account Number 2: -----
iii. Account number 3: ----- iv. Account Number 4: -----

4.. I hereby authorise to use my linked Aadhaar enabled bank account for receiving Government payment across schemes that I am eligible & /or any other payment using the Aadhaar based information and NPCI may MAP my primary account in the Aadhaar Mapper of NPCI.

5. (Tick (√) only one from below for NPCI Mapper for getting DBT benefits)

- Map my account no. _____ at NPCI to enable me to receive Direct Benefit Transfer(DBT) from Government of India in my above account. I understand that if more than one Benefit transfer is due to me, I will receive all Benefit Transfers in this account**
- I already have an account with another bank linked to Aadhaar and only that will be used for NPCI mapper and for receiving Direct Benefit Transfer from Government of India.**

6. I further request you to register my mobile number..... to my above account number. SMS alerts may be sent to this mobile number. Please also register my email-Id:.....

7. I have been explained about the nature of information that may be shared upon authentication. I have been given to understand that my *information submitted to the bank herewith shall not be used for any purpose other than mentioned above, or as per requirements of law.*

8. I hereby declare that all the above information voluntarily furnished by me is true, correct and complete.

Yours faithfully

[if consent sent through BC/BDO/VO]

(Signature/Thumb Impression of customer)

I hereby authorise the Banking Correspondent

.....
 I hereby authorise the Sarpanch/

V.O./B.D.O./.....
to submit the above consent letter to the bank.

Name

Fathers / Spouse Name:

Account Number:

Address of the customer:

Branch Name:

Bank Name'

(Signature/Thumb Impression of customer)

आधार नम्बर बैंक खाते से जोड़ने एवं आधार आधारित प्रमाणीकरण के सहमति हेतु आवेदन

शाखा प्रबन्धक

दिनांक

-----बैंक

-----शाखा

- 1 मैं (खाताधारक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि/पति
..... निवासी मेरे आधार नम्बर को मेरे प्रस्तावित/वर्तमान
बैंक खाता को आधार नम्बर से लिंक कराना चाहती/चाहता हूँ। आधार/यू.आई.डी. नम्बर (स्वप्रमाणित
प्रति संलग्न) का विवरण निम्नानुसार है :-
आधार/यू.आई.डी. नम्बर
- 2 मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए अपने आपको
प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं आधार अधिनियम 2016 तथा इसके तहत बनाये गये
नियम प्रतिनियम के तहत मेरे आधार नम्बर को मेरे बैंक एकाउन्ट के साथ जोड़ने तथा मेरी
व्यक्तिगत जानकारी (आधार नम्बर, बायोमैट्रिक सूचना तथा जन्म मृत्यु से संबन्धित जानकारी) को
बैंकिंग सेवा मय खाते को चालू रखने तथा सब्सिडी प्राप्त करने, लाभ तथा अन्य सेवाएं अथवा बैंकिंग
संचालन से संबन्धित अन्य सुविधाओं के उपयोग हेतु आधार आधारित प्रणाली के लिए अपनी स्वयं
की इच्छा से सहमति प्रदान करता हूँ।
- 3 मैं मेरे सभी वर्तमान में संचालित सभी खातों एवं अपनी ग्राहक प्रोफाइल के लिए मेरे आधार नम्बर
को जोड़े जाने हेतु अपनी स्वैच्छिक सहमति प्रदान करता हूँ जिनका विवरण निम्नानुसार है :-
खाता संख्या (1) खाता संख्या (2)
खाता संख्या (3) खाता संख्या (4)
- 4 मैं मेरे आधार से जुड़े बैंक खाते को किसी भी स्कीम के राजकीय भुगतान जिसके लिए मैं योग्य हूँ
और/अथवा कोई भी अन्य आधार आधारित सूचना से भुगतान के लिए उपयोग में लेने के लिए
प्रमाणित करता हूँ। एनपीसीआई द्वारा मेरे प्राथमिक खाते को एनपीसीआई के आधार मैपर से मैप
किया जा सकता है।
- 5 एनपीसीआई मैपर द्वारा डी.बी.टी. लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसी एक को सही (✓) करे
○ कृपया मेरा खाता संख्या को भारत सरकार से किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष
लाभ हस्तान्तरण (डी.बी.टी.) को मेरे खाते में प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई से मैप करने का
श्रम करावे। मुझे यह जानकारी है कि यदि मैं एक से अधिक लाभ हस्तान्तरण के लिए योग्य हूँ
तो मुझे सभी लाभ हस्तान्तरण इसी खाते से प्राप्त होंगे।
○ मेरा अन्य बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है एवं केवल वही खाता एनपीसीआई मैपर पर तथा
भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- 6 मैं मेरा मोबाइल नम्बर को मेरे उक्त खाता संख्या से जोड़े जाने का भी आग्रह करता
हूँ। इस मोबाइल नम्बर पर मुझे एस.एम.एस. अलर्ट प्रेषित किये जा सकते हैं। कृपया मेरा ई-मेल
आई डी. भी पंजीकृत करे।
- 7 मुझे, ऐसी समस्त सूचना सामग्री के बारे में, जिन्हें, प्रमाणीकरण के पश्चात साझा किया जा सकता है
के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी है। मुझे यह अवगत कराया गया है कि इस आवेदन के
साथ प्रस्तुत सूचनाएं उपरोक्त कारणों अथवा कानून के अनुसार वांछित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों
के लिए उपयोग में नहीं ली जायेगी।
- 8 मैं यह घोषणा करता हूँ कि उक्त सभी जानकारी मेरे द्वारा स्वैच्छिक रूप से दी गयी है एवं सत्य,
सही तथा पूर्ण है।

प्रार्थी

(ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)

नाम

पिता/पति का नाम

खाता संख्या

ग्राहक का पता

बैंक का नाम

शाखा

(यदि सहमति बी.सी./बी.डी.ओ./ग्राम सचिव के
माध्यम से दी गयी है।)

○ मैं बी.सी.को प्रमाणित
करता हूँ।

○ मैं सरपंच/बी.डी.ओ./ग्राम सचिव
.....को प्रमाणित करता हूँ।

(ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)